

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक— एफ 1-1/2011/1-13
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर, छ.ग.
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करते समय जनसूचना अधिकारी तथा आदेश पारित करते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम अंकित करने के संबंध में।

सन्दर्भ :— विभाग का पत्र क्रमांक —3610/जी-1646/2011/1-13 दि. 30.11.2011, पत्र क्रमांक—44/जी-1646/2011/1-13 दि. 09 जनवरी 2013 एवं पत्र क्रमांक—1628/जी-921/2014/1-13 दि. 10 अक्टूबर

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश तथा पत्राचार करते समय अपना नाम, पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ने पत्र क्रमांक—10/1/2013—आईआर, दिनांक 11 नवम्बर 2014 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। जिसके अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने हेतु मॉडल/आदर्श प्रारूप विकसित करने के लिए समिति गठित किया था। उक्त समिति द्वारा तत्सम्बन्ध की गई अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :—

1. कार्यालय में सहज रूप से सदृश्य स्थान पर जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय दूरभाष क्रमांक, और ईमेल आईडी का सुस्पष्ट उल्लेख करना चाहिए.
2. मांगी गई सूचना, यदि प्रदाय किए जाने से इंकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम के तहत इंकार किए जाने से संबंधित धाराओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए.

3. मांगी गई सूचना का संबंध अन्य लोक प्राधिकरण से है तो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र अंतरित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकारी का स्पष्ट विवरण उल्लेखित किया जाना चाहिए.
4. आवेदक को दी जाने वाली जानकारी पत्र के अंतिम पैरा में प्रथम अपीलीय अधिकारी, नाम, पता सहित यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि दी गई जानकारी से संतुष्ट न हो तो 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं.
5. यदि आवेदक ने चाही गई सूचना की प्रतियाँ या अभिलेखों को प्रमाणित कर, प्रदाय करने का अनुरोध किया है तो जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम सील सहित और हस्ताक्षर मय तारीख अंकित कर उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (03)

(क.आर. मिश्रा)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2015

क्रमांक- एफ 1-1/2011/1-13

प्रतिलिपि

1. श्री कुलभूषण मल्होत्रा, अवर सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली पत्र क्रमांक-10/1/2013-आईआर, दिनांक 11 नवम्बर 2014 के तारतम्य में.
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़.
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
4. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.
5. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डीकेएस भवन) के पास, इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, छ0ग0. की उनके पत्र क्रमांक- 875/स्था./छगरासूआ/15 रायपुर, दिनांक 05.05.2015 के तारतम्य में.
6. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) की वेबसाइट में अपलोड करने बाबत।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार(03पृष्ठ)

असिचिव
25/8/15

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

F.No.10/1/2013-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(IR Section)

New Delhi, the 11th November 2014

Subject : Report of the Committee to evolve model format for RTI replies

This Department has constituted a committee to evolve model format for RTI replies, comprising representatives of Department of Personnel & Training, Ministry of Home Affairs and Central Information Commission. The report submitted by the committee is attached for information, before issue of guidelines in this regard.

(Kulbhushan Malhotra)

Under Secretary to the Govt of India

Tel. 2309 2759

13.11.2014

Sccy

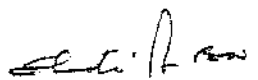
Report of the Committee to evolve model format for RTI replies

The Committee constituted vide DoPT O.M. No. 10/1/2013-IR dated 16th October, 2014 to evolve a model format for giving information under the RTI Act, held its meeting on 29th October, 2014 at 11:30 a.m. After examining in detail the provisions of the RTI Act and the existing practice generally followed by the CPIOs in replying to RTI applications, the Committee has made the following observations:

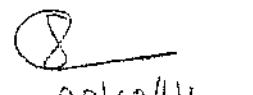
- I. There is neither any provision in the RTI Act or RTI Rules for a model/standard format of RTI application nor any provision for a model/standard format for reply to the RTI applications.
- II. Presently, neither any standard practice nor any standard format is being used by the CPIOs in reply to the RTI applications.

In view of the above observations, the Committee has made the following recommendations:

- a) There should not be a model/standard format for reply to the RTI application, as there is no such provision in the RTI Act or the RTI rules.
- b) Moreover, keeping in view that there is no standard format for RTI applications, there could not be a standard format for their reply.
- c) However, the following points can be uniformly adopted by the CPIOs while replying to the RTI applications:
 - i. The name, designation, official telephone no. and email I.D. of the CPIOs should be clearly mentioned.
 - ii. In case the information requested for is denied, reasons for denial quoting the relevant sections of the RTI Act should be clearly mentioned.
 - iii. In case the information pertains to other public authority and the application is transferred under section 6 (3) of the RTI Act, details of the public authority to whom the application is transferred should be given.
 - iv. In the concluding para of the reply, there should be clearly mentioned that the First Appeal, if any, against the reply of the CPIO may be made to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply of CPIO.
 - v. The name, designation, address, official telephone no. and e-mail I.D. of the First Appellate Authority should also be clearly mentioned.


29.10.14


29/10/14


29/10/14